



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072024-255746
CG-DL-E-25072024-255746

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2801]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2024/श्रावण 2, 1946

No. 2801]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/SHRAVANA 2, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.आ. 2938(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में वेस्टर्न इन्दौर बायपास के कि.मी. 8.8 से कि.मी. 20.87 (देपालपुर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 4-लेन/6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देपालपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में वेस्टर्न इन्दौर बायपास के कि.मी. 8.8 से कि.मी. 20.87 (देपालपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: इंदौर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: देपालपुर					
गांव का नाम: किशनपुरा					
1	101/10	सरकारी	वन	0.0137 (हेक्टेयर)	0.0137
2	101/4	सरकारी	वन	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
3	101/9	सरकारी	वन	0.0343 (हेक्टेयर)	0.0343
4	12/1	निजी	सिंचित	0.0533 (हेक्टेयर)	0.0533
5	12/2	निजी	सिंचित	0.0686 (हेक्टेयर)	0.0686
6	13	सरकारी	नाला	0.0178 (हेक्टेयर)	0.0178
7	14/1	निजी	सिंचित	0.0254 (हेक्टेयर)	0.0254
8	44/10	निजी	सिंचित	0.0566 (हेक्टेयर)	0.0566
9	44/7	सरकारी	आबादी	0.0098 (हेक्टेयर)	0.0098
10	44/8	निजी	सिंचित	0.0055 (हेक्टेयर)	0.0055
11	55	निजी	सिंचित	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
12	57	सरकारी	नाला	0.0087 (हेक्टेयर)	0.0087
13	66/2	निजी	सिंचित	0.0026 (हेक्टेयर)	0.0026
14	68	निजी	सिंचित	0.0621 (हेक्टेयर)	0.0621
15	69	सरकारी	नाला	0.0778 (हेक्टेयर)	0.0778
16	82	निजी	सिंचित	0.0045 (हेक्टेयर)	0.0045
17	83	निजी	सिंचित	0.0069 (हेक्टेयर)	0.0069
गांव का नाम: ललेंडीपुरा					
18	123	निजी	सिंचित	0.0016 (हेक्टेयर)	0.0016
गांव का नाम: बेटमाखुर्द					
19	240	निजी	सिंचित	0.0003 (हेक्टेयर)	0.0003
20	241	निजी	सिंचित	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
21	242	निजी	सिंचित	0.0014 (हेक्टेयर)	0.0014
22	243	निजी	सिंचित	0.0016 (हेक्टेयर)	0.0016

23	245	निजी	सिंचित	0.0005 (हेक्टेयर)	0.0005
24	249	निजी	सिंचित	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
25	250	निजी	सिंचित	0.0064 (हेक्टेयर)	0.0064
26	251	निजी	सिंचित	0.1586 (हेक्टेयर)	0.1586
27	252	निजी	सिंचित	0.0372 (हेक्टेयर)	0.0372
28	253	निजी	सिंचित	0.0585 (हेक्टेयर)	0.0585
29	254	निजी	सिंचित	0.5703 (हेक्टेयर)	0.5703
30	257	अन्य	सिंचित/नहर	1.0651 (हेक्टेयर)	1.0651
31	258	अन्य	सिंचित/सड़क	1.2019 (हेक्टेयर)	1.2019
32	259	अन्य	सिंचित/सड़क	0.2172 (हेक्टेयर)	0.2172
33	263	सरकारी	सड़क/तालाब	0.9514 (हेक्टेयर)	0.9514
34	272	अन्य	सिंचित/सड़क	0.0408 (हेक्टेयर)	0.0408
35	273	निजी	सिंचित	0.0119 (हेक्टेयर)	0.0119
36	274	अन्य	सिंचित/तालाब	1.1757 (हेक्टेयर)	1.1757
37	275	अन्य	सिंचित/तालाब	0.2071 (हेक्टेयर)	0.2071
38	284	अन्य	सिंचित/तालाब	0.0838 (हेक्टेयर)	0.0838
39	286	अन्य	सिंचित/तालाब	0.0628 (हेक्टेयर)	0.0628
40	289	निजी	सिंचित	0.4706 (हेक्टेयर)	0.4706
41	290	सरकारी	चारागाह	0.301 (हेक्टेयर)	0.301
42	291/2	निजी	असिंचित	0.1537 (हेक्टेयर)	0.1537
43	474	निजी	सिंचित	0.088 (हेक्टेयर)	0.088
44	475	निजी	सिंचित	0.0796 (हेक्टेयर)	0.0796
45	476	अन्य	सिंचित	0.057 (हेक्टेयर)	0.057
46	477	निजी	सिंचित	0.0088 (हेक्टेयर)	0.0088
47	487	निजी	सिंचित	0.0011 (हेक्टेयर)	0.0011
48	489	निजी	सिंचित	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
49	490	निजी	सिंचित	0.0002 (हेक्टेयर)	0.0002
50	495	निजी	सिंचित	0.0043 (हेक्टेयर)	0.0043
51	496	निजी	सिंचित	0.0015 (हेक्टेयर)	0.0015
52	498	सरकारी	नाला	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
53	502	निजी	सिंचित	0.0357 (हेक्टेयर)	0.0357
54	503	सरकारी	नाला	0.0007 (हेक्टेयर)	0.0007
55	504/515	निजी	सिंचित	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
56	505	निजी	सिंचित	0.0212 (हेक्टेयर)	0.0212
57	506	सरकारी	नाला	0.0066 (हेक्टेयर)	0.0066
58	507	निजी	सिंचित	0.0469 (हेक्टेयर)	0.0469

59	507/516	निजी	सिंचित	0.0002 (हेक्टेयर)	0.0002
गांव का नाम: मोहना					
60	181	सरकारी	असिंचित	0.485 (हेक्टेयर)	0.485
कुल योग					8.1267

[फा. सं. NHA/RO-BPL/PIU-IND/DPR/IRR/207726/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2024

S.O. 2938(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/Four lane with paved shoulder/Six laning etc.), maintenance, management and operation of Western Indore Bypass in the stretch of land from Km. 8.8 to Km. 20.87 (Depalpur) in the district of INDORE in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer (Revenue), Depalpur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Western Indore Bypass in the stretch of land from Km. 8.8 to Km. 20.87 (Depalpur) in the district of INDORE in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: INDORE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Depalpur					
Village: Kishanpura					
1	101/10	Government	Forest	0.0137 (Hectare)	0.0137
2	101/4	Government	Forest	0.04 (Hectare)	0.04
3	101/9	Government	Forest	0.0343 (Hectare)	0.0343
4	12/1	Private	Irrigated	0.0533 (Hectare)	0.0533
5	12/2	Private	Irrigated	0.0686 (Hectare)	0.0686
6	13	Government	Naala	0.0178 (Hectare)	0.0178
7	14/1	Private	Irrigated	0.0254 (Hectare)	0.0254
8	44/10	Private	Irrigated	0.0566 (Hectare)	0.0566

9	44/7	Government	Aabadi	0.0098 (Hectare)	0.0098
10	44/8	Private	Irrigated	0.0055 (Hectare)	0.0055
11	55	Private	Irrigated	0.014 (Hectare)	0.014
12	57	Government	Naala	0.0087 (Hectare)	0.0087
13	66/2	Private	Irrigated	0.0026 (Hectare)	0.0026
14	68	Private	Irrigated	0.0621 (Hectare)	0.0621
15	69	Government	Naala	0.0778 (Hectare)	0.0778
16	82	Private	Irrigated	0.0045 (Hectare)	0.0045
17	83	Private	Irrigated	0.0069 (Hectare)	0.0069
Village: Lalendipura					
18	123	Private	Irrigated	0.0016 (Hectare)	0.0016
Village: Betma Khurd					
19	240	Private	Irrigated	0.0003 (Hectare)	0.0003
20	241	Private	Irrigated	0.001 (Hectare)	0.001
21	242	Private	Irrigated	0.0014 (Hectare)	0.0014
22	243	Private	Irrigated	0.0016 (Hectare)	0.0016
23	245	Private	Irrigated	0.0005 (Hectare)	0.0005
24	249	Private	Irrigated	0.0025 (Hectare)	0.0025
25	250	Private	Irrigated	0.0064 (Hectare)	0.0064
26	251	Private	Irrigated	0.1586 (Hectare)	0.1586
27	252	Private	Irrigated	0.0372 (Hectare)	0.0372
28	253	Private	Irrigated	0.0585 (Hectare)	0.0585
29	254	Private	Irrigated	0.5703 (Hectare)	0.5703
30	257	Common	Irrigated/Canal	1.0651 (Hectare)	1.0651
31	258	Common	Irrigated/Road	1.2019 (Hectare)	1.2019
32	259	Common	Irrigated/Road	0.2172 (Hectare)	0.2172
33	263	Government	Road/Pond	0.9514 (Hectare)	0.9514
34	272	Common	Irrigated/Road	0.0408 (Hectare)	0.0408
35	273	Private	Irrigated	0.0119 (Hectare)	0.0119
36	274	Common	Irrigated/Pond	1.1757 (Hectare)	1.1757
37	275	Common	Irrigated/Pond	0.2071 (Hectare)	0.2071
38	284	Common	Irrigated/Pond	0.0838 (Hectare)	0.0838
39	286	Common	Irrigated/Pond	0.0628 (Hectare)	0.0628
40	289	Private	Irrigated	0.4706 (Hectare)	0.4706
41	290	Government	Charagah	0.301 (Hectare)	0.301
42	291/2	Private	Non Irrigated	0.1537 (Hectare)	0.1537
43	474	Private	Irrigated	0.088 (Hectare)	0.088
44	475	Private	Irrigated	0.0796 (Hectare)	0.0796
45	476	Common	Irrigated	0.057 (Hectare)	0.057
46	477	Private	Irrigated	0.0088 (Hectare)	0.0088
47	487	Private	Irrigated	0.0011 (Hectare)	0.0011
48	489	Private	Irrigated	0.003 (Hectare)	0.003
49	490	Private	Irrigated	0.0002 (Hectare)	0.0002
50	495	Private	Irrigated	0.0043 (Hectare)	0.0043
51	496	Private	Irrigated	0.0015 (Hectare)	0.0015

52	498	Government	Naala	0.0004 (Hectare)	0.0004
53	502	Private	Irrigated	0.0357 (Hectare)	0.0357
54	503	Government	Naala	0.0007 (Hectare)	0.0007
55	504/515	Private	Irrigated	0.002 (Hectare)	0.002
56	505	Private	Irrigated	0.0212 (Hectare)	0.0212
57	506	Government	Naala	0.0066 (Hectare)	0.0066
58	507	Private	Irrigated	0.0469 (Hectare)	0.0469
59	507/516	Private	Irrigated	0.0002 (Hectare)	0.0002
Village: Mohna					
60	181	Government	Non-Irrigated	0.485 (Hectare)	0.485
Total					8.1267

[F. No. NHAI/RO-BPL/PIU-IND/DPR/IRR/207726/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.